अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग
*****

क्रमांक प०15(1)कार्मिक(क-2)/75 जयपुर दिनांक 3 जून, 1975

1. समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, (जिलाधीशों सहित) ।

परिपत्र

विषयः राज्य सेवाओं की समस्त श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा-काल में वृध्दि किये जाने के सम्बन्ध में ।
****

यह तो सर्व विदित है कि सन् 1967 से ही राज्य सरकार की यह दृढ़ निति रही है कि समस्त राज्य सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा निवृति की निर्धारित आयु प्राप्त करने के पश्चात् उनके सेवाकाल में वृध्दि अथवा उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जायेगी, जब तक कि सम्बन्धित सेवा नियमों में इसके लिये पहले से ही कोई विशिष्ठ प्रावधान न हो । तदनुसार इस विभाग के परिपत्र संख्या प08(33)नियुक्ति(क)/55 भाग-6 दिनांक 9 नवम्बर, 1971 के व्दारा सभी विभागों को यह निर्देश दिये गये थे कि इस निर्णय की सख्ती से पालना की जावें एवं भविष्य में सेवा निवृति की निर्धारित आयु प्राप्त करने के पश्चात् किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति अथवा उसके सेवाकाल में वृध्दि किये जाने का कोई प्रस्ताव इस विभाग को न भिजवायें ।

2. परन्तु गत माह कुछ समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में यह त्रुटिपूर्ण समाचार छपे थे कि राज्य मंत्री-मण्डल व्दारा लिए गये निर्णय के अनुसार राज्य सेवाओं के कर्मचारियों की सेवा निवृति की आयु अब सामान्य-रूप से 56 वर्ष कर दी गई है । वास्तव में राज्य मंत्री-मण्डल व्दारा उपरोक्त निति के सम्बन्ध में यह आंशिक निर्णय लिया गया है कि, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के अतिरिक्त, राज्य सेवाओं की समस्त श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के केवल विशिष्ट मामलों में, उनके सेवा काल में मंत्री-मण्डल की स्पष्ट आज्ञा और अनुमति से ही एक वर्ष तक की वृध्दि की जा सकती हैं ।

3. अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके अधीन कार्य कर रहे राज्य सेवाओं की किसी भी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को, उनकी सेवा निवृति के निर्धारित आयु प्राप्त करने के पश्चात्, सेवा में न रखा जावें । विशिष्ट मामलों में सेवाकाल में वृध्दि किये जाने का आधार एवं उसके लिए अपनायी जाने वाली प्रणाली निश्चित कर अलग से शीघ्र भिजवायी जायेगी ।

(वी०बी०एल०माथुर)
विशिष्ट शासन सचिव

कृ०पृ०उ०